

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 1644 औस/2009-11(4)एफ०/86

दिनांक: 02 मई, 2009

विषय :- चिकित्सा से सम्बन्धित मूल बाउचर्स/प्रपत्र गुम हो जाने की स्थिति में
चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्रकरणों का निस्तारण करने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या-01-औस-17/पाकालि/2004-2(4)ए०एस०/86 टी०सी०, दिनांक 02.01.2004 के अनुक्रम में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशन धारकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के ऐसे प्रकरणों हेतु जिनमें मूल बाउचर्स/प्रपत्र सम्बन्धित रोगी अथवा सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के स्तर से गुम हो गये हो एतद्वारा अपवाद स्वरूप यह व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है कि डुप्लीकेट बाउचर्स/प्रपत्रों को सम्बन्धित चिकित्सालय (जहाँ चिकित्सा कराई गई है) द्वारा प्रमाणित कराकर शपथ पत्र सहित प्रस्तुत करने पर चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। शपथ पत्र में यह इंगित किया जायेगा कि संगत बाउचर्स/प्रपत्र किस स्तर से और किन परिस्थितियों में गुम हुये, भुगतान प्राप्त नहीं किया गया है तथा यदि मूल बाउचर्स अथवा प्रपत्र भविष्य में प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी प्रतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं की जायेगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)

संख्या: 1644 (1) औस/2009-तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

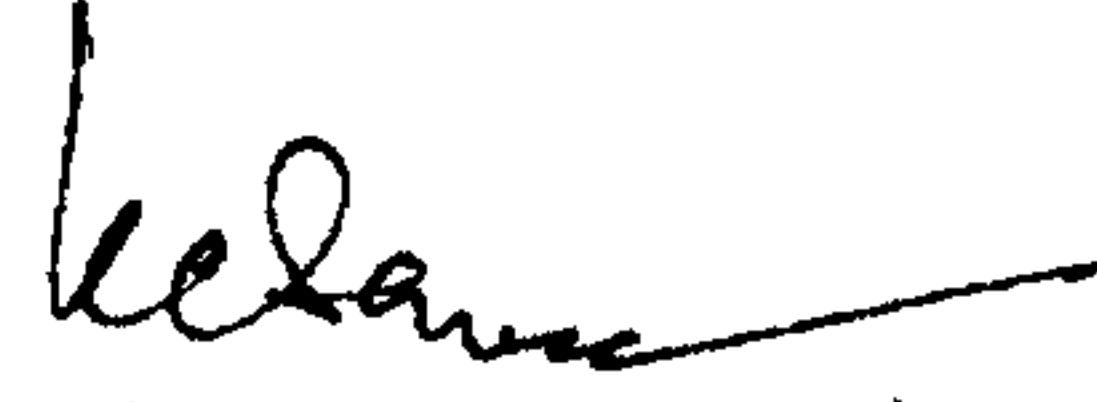
- 1- अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध अपर सचिव।
- 2- अपर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ / पूर्वान्चल, वाराणसी / पश्चिमांचल, मेरठ / दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
- 4- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 5- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को

MEDICAL



उपलब्ध करा दें।

- 6- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 8- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9- मुख्य अभियन्ता (लेसा), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।
- 10- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु।
- 11- समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 12 सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 13 कट फाइल।



(कौशल चन्द्र सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी